

छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम के विविध बोर्ड की साधारण बैठक का कार्यवृत्त 29-02-2024 को 1600 बजे छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट के कार्यालय में आयोजित किया गया।

उपस्थित सदस्य

1. ब्रिग. जी. एस. पंढेर, एसएम, अध्यक्ष
2. श्री. सी. दिनेश कुमार रेड्डी, सदस्य सचिव
3. श्री. पी.ए. गुना, मनोनीत सदस्य

1. नोट करना

(ए) सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी में बोरवेल की खुदाई और उपयोग के लिए नियमों के संबंध में दिनांक 07-02-2024 को प्रसारित एजेंडा संकल्प को नोट करने के लिए

संकल्प संख्या 1 (ए): नोट किया गया और अनुमोदित किया गया।

(बी) छावनी बोर्ड स्कूलों में एक साल की व्यापक वारंटी के साथ निगरानी (सीसीटीवी) कैमरों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के संबंध में दिनांक 07-02-2024 को प्रसारित एजेंडा संकल्प को नोट करने के लिए।

संकल्प संख्या 1 (बी): नोट किया गया और अनुमोदित किया गया।

(सी) छावनी के लिए अनुबंध पर इयूटी मेडिकल ऑफिसर के 02, स्टाफ नर्स के 06, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 02, वार्ड अटेंडेंट के 04 के संबंध में दिनांक 07-02-2024 के सर्कुलेशन द्वारा एजेंडा संकल्प को नोट करने के लिए जी ई एम पोर्टल के माध्यम से पल्लावरम में अस्पताल।

संकल्प संख्या 1 (सी): नोट किया गया और अनुमोदित किया गया।

(डी) श्री गुलाबचंद सायर बाई जैन छावनी सामान्य अस्पताल, पल्लावरम को अस्पताल सर्जिकल उपकरण वस्तुओं की खरीद के संबंध में दिनांक 07-02-2024 को परिसंचरण द्वारा एजेंडा संकल्प नोट करने के लिए।

संकल्प संख्या (डी): नोट किया गया और अनुमोदित किया गया।

2. अनुसूचित जनजाति में कुत्तों के पंजीकरण और नियंत्रण के लिए उपनियमों में संशोधन। थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी

संदर्भ: डीटीई, डीई, एससीआईआर। क्रमांक 962/XIV डीई दिनांक 25 जनवरी 2024

निदेशालय, रक्षा संपदा, दक्षिणी कमान, पुणे ने छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम में कुत्तों के पंजीकरण और नियंत्रण के लिए उपनियमों को संशोधित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के कुत्तों के पंजीकरण और नियंत्रण के लिए मौजूदा उपनियम छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के अनुसार शासित होते हैं और जी.ओ. संख्या 2231, कानून द्वारा अधिसूचित हैं। सामान्य) दिनांक 13 जुलाई 1925। चूंकि छावनी अधिनियम, 2006 ने पहले के छावनी अधिनियम, 1924 का स्थान ले लिया है, इसलिए कुत्तों के पंजीकरण और नियंत्रण के लिए उपनियमों को भी छावनी अधिनियम, 2006 की धारा (290) के अनुसार तैयार किया जाना आवश्यक है। इसलिए, संशोधित उपनियम -सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी में कुत्तों के पंजीकरण और नियंत्रण के लिए कानून तैयार किए गए हैं और अनुमोदन और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए रखे गए हैं।

संबंधित फाइल पटल पर रखी गई है।

बोर्ड मंजूरी दे सकता है।

संकल्प संख्या 2: उपविधि के प्रारूप पर विचार कर अनुमोदन किया गया। बोर्ड ने सर्वसम्मति से निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार उपनियमों के संशोधन/अद्यतन के लिए जनता की राय, सुझाव और आपत्तियां मांगने और इस संबंध में जानकारी, विचार और आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे उच्च अधिकारियों को सौंपने का निर्णय लिया।

3. अनुसूचित जनजाति में जल आपूर्ति और जल कनेक्शन के विनियमन के लिए उपनियम तैयार करना। थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी

संदर्भ: पीडीडीई, एससी, पुणे पत्र क्रमांक 962/XIV/ डीई दिनांक 24.01.2024।

निदेशालय, रक्षा संपदा, दक्षिणी कमान, पुणे ने सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी में जल आपूर्ति और जल कनेक्शन के विनियमन के लिए उपनियम बनाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी में जल आपूर्ति और जल कनेक्शन के विनियमन के लिए कोई मौजूदा उपनियम नहीं हैं। इसलिए, मौजूदा जल आपूर्ति उपनियमों को ध्यान में रखते हुए, जल आपूर्ति और जल कनेक्शन के विनियमन के लिए उपनियम तैयार किए गए हैं।

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 350(1) के तहत आगे की कार्रवाई के लिए पड़ोसी नगर पालिका।

संबंधित फाइल पटल पर रखी गई है।

बोर्ड मंजूरी दे सकता है।

संकल्प संख्या 3: उपविधि के प्रारूप पर विचार कर अनुमोदन किया गया। तख्ताआगे सर्वसम्मति से निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार जनता की राय, सुझाव और आपत्तियां मांगने और इस संबंध में जानकारी, विचार और आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

4. क्रमशः 10 और 20 वर्ष पूरे करने वाले योग्य कर्मचारियों को चयन ग्रेड, विशेष ग्रेड वृद्धि प्रदान करना

निम्नलिखित छावनी बोर्ड के कर्मचारियों ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार योग्यता सेवा के 10 वर्ष और 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं और तमिलनाडु सरकार के अनुसार चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड प्राप्त करने के हकदार हैं। जी.ओ. सुश्री संख्या 303 दिनांक 11.10.2017.

चयन ग्रेड (एक ही पद पर 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर)

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	आवेदन की तिथि	ई ओ एल की संख्या, यदि कोई हो	10 वर्ष पूरे होने की तिथि	मौजूदा स्तर	मौजूदा मूल वेतन	प्रस्तावित मूल वेतन	वेतन वृद्धि की संख्या	अधिकार
1.	श्रीमती वी. गायत्री, एल डी सी	18.02. 2014	शून्य	17.02. 2024	लेवल 8, वेतन मैट्रिक्स तालिका संख्या 12	27000 (स्तर 8, तालिका संख्या 12)	28600 (स्तर 8, तालिका क्रमांक 14)	18.02. 2024 को दो वेतन वृद्धि	जी.ओ.एम. क्रमांक 303 दिनांक 11.10.2017 पृष्ठ क्रमांक.3, पैरा नं.10
2.	श्री. एन.एस. विग्नेश, एल डी सी	19.02. 2014	शून्य	18.02. 2024	लेवल 8, वेतन मैट्रिक्स तालिका संख्या 12	27000 (स्तर 8, तालिका संख्या 12)	28600 (स्तर 8, तालिका क्रमांक 14)	19.02. 2024 को दो वेतन वृद्धि	जी.ओ.एम. क्रमांक 303 दिनांक 11.10.2017 पृष्ठ क्रमांक.3, पैरा नं.10

चयन ग्रेड (एक ही पद पर 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर)

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	आवेदन की तिथि	ई ओ एल की संख्या, यदि कोई हो	20 वर्ष पूरे होने की तिथि	मौजूदा स्तर	मौजूदा मूल वेतन	प्रस्तावित मूल वेतन	वेतन वृद्धि की संख्या	अधिकार
1.	श्री वी.दीनदयाल न, सफाईवाला	05.01.2004	शून्य	04.01.2024	लेवल 1, वेतन मैट्रिक्स तालिका संख्या 19	26800 (स्तर 1, तालिका क्रमांक 19)	28400 (स्तर 1, तालिका क्रमांक 21)	05.01.2024 को दो वेतन वृद्धि	जी.ओ.सुश्री नं.303 दिनांक 11.10.2017, पेजेनो. 3, पैरा नं.10
2.	श्री ए.अरुणाचला, सफाईवाला	05.01.2004	शून्य	04.01.2024	लेवल 1, टेबल नंबर 23	30200 (स्तर 1, तालिका संख्या 23)	32000 (स्तर 1, तालिका संख्या 25)	05.01.2024 को दो वेतन वृद्धि	जी.ओ.सुश्री नं.303 दिनांक 11.10.2017, पेजेनो. 3, पैरा नं.10

बोर्ड की मंजूरी के बाद, एक स्व-निहित प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदन के लिए प्रधान निदेशक, दक्षिणी कमान, पुणे को भेजा जाएगा।

इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज सदन पटल पर रखे गए हैं।

बोर्ड मंजूरी दे सकता है.

संकल्प संख्या 4: विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। आवश्यक प्रस्ताव मंजूरी के लिए प्रधान निदेशक, डीई, एससी, पुणे को भेजा जाए।

5. छावनी अस्पताल, पल्लावरम में रेडियोलॉजी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने वाले योग्य सहायक चिकित्सा अधिकारी को दो विशेष वेतन वृद्धि प्रदान करना।

संदर्भ: 1. सरकार। तमिलनाडु के जी.ओ. (सुश्री)। क्रमांक 2, दिनांक 03.01.2024

2. डॉ. जी.एस. निशा का अनुरोध पत्र दिनांक 26.02.2024 प्राप्त हुआ

यह प्रस्तुत किया गया है कि सरकार। तमिलनाडु के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (ए1) विभाग ने जी.ओ. (एमएस) जारी किया है। क्रमांक 2 दिनांक 03.01.2024, जिसमें कहा गया है कि स्नातकोत्तर डिग्री वाले चिकित्सा अधिकारी अपनी उच्च योग्यता के लिए दो विशेष वेतन वृद्धि का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

इस संबंध में, सहायक चिकित्सा अधिकारी, जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री पूरी कर ली है, उपरोक्त जी.ओ. (एमएस) के संदर्भ में अपनी डिग्री पूरी होने की तारीख से दो विशेष वेतन वृद्धि का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। क्रमांक 2 दिनांक 03.01.2024. विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	सहायक चिकित्सा अधिकारी का नाम	स्नातकोत्तर डिग्री का नाम	डिग्री पूरी होने की तिथि	वेतन वृद्धि	इस तिथि से
1.	डॉ. जी.एस. निशा	स्नातकोत्तर में डिग्री रेडियोलोजी	04.07.2022	दो वेतन वृद्धि	01.07.2022

बोर्ड की मंजूरी के बाद, एक स्व-निहित प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदन के लिए प्रधान निदेशक, दक्षिणी कमान, पुणे को भेजा जाएगा।

इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज सदन पटल पर रखे गए हैं।

बोर्ड मंजूरी दे सकता है.

संकल्प संख्या 5: विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। मंजूरी के लिए प्रधान निदेशक, डीई, एससी, पुणे को आवश्यक प्रस्ताव भेजा जाएगा।

6. छावनी बोर्ड के लिए अनुबंध के आधार पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति

मेसर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति पर विचार करना। राघवन और मुरलीधरन, 11 महीने की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म।

यह प्रस्तुत किया गया है कि, इस कार्यालय ने सीबीएआर, 2020 के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक लेखांकन उद्देश्यों के लिए एबीएएस (एक्रुअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम) लागू किया है। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लेखांकन रिपोर्टों को सही कर रहा है, सीएमसी बैठकों में भाग ले रहा है, सीए जारी कर रहा है। आज तक एबीएएस और अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में लेखांकन रिपोर्ट और कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रमाण पत्र। इसके अलावा, संविदा के आधार पर नियुक्ति का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम संख्या	अधिकार	पेशा संबंधी शुल्क	टिप्पणी
1.	सी बी आर नंबर 06, दिनांक 18.10.2011	रु. 25000/- प्रति माह	10.05.2012 से 01.04.2013 तक संलग्न
2.	सी बी आर नंबर 22, दिनांक 05.10.2015	रु. 25000/- प्रति माह	एबीएस परियोजना के पूरा होने तक सेवाएं प्रदान की गईं
3.	सी बी आर नंबर 03, दिनांक 27.11.2018	रु. 40,000/- प्रति माह	प्रोफेशनल फीस में 100 रुपये से बढ़ोतरी 25000/- से रु. 40,000/- (जीएसटी को छोड़कर)
4.	सी बी आर क्रमांक 06, दिनांक 31.12.2021	रु. 40,000/- प्रति माह	संलग्न सेवा अभी भी 30.04.2022
5.	सी बी आर क्रमांक 05, दिनांक 31.12.2022	रु. 60,000/- प्रति तिमाही	30.12.2023 तक संलग्न सेवाएँ

चूँकि, इस छावनी बोर्ड के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाओं की आवश्यकता है, इसलिए मेसर्स द्वारा प्रदान किए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। राघवन और मुरलीधरन को पेशेवर शुल्क के लिए रु. 60,000/- प्रति तिमाही वर्ष (अर्थात् 20,000/- प्रति माह) सभी लागू करों को छोड़कर।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज सदन पटल पर रखे गए हैं।

बोर्ड मंजूरी दे सकता है।

संकल्प संख्या 6: मेसर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। राघवन और मुरलीधरन रुपये के पेशेवर शुल्क के साथ। 01.01.2024 से 11 महीने की अवधि के लिए सभी लागू करों को छोड़कर 60,000/- प्रति तिमाही वर्ष (अर्थात् 20,000/- प्रति माह)।

7. पात्र व्यक्तियों को हैंडवाश साबुन-हमाम की खरीद

छावनी बोर्ड के कर्मचारी, एस.टी. थॉमस माउंट सह पल्लावरम

2583 नग की खरीद पर विचार एवं अनुमोदन करना। सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी बोर्ड के पात्र कर्मचारियों को हाथ धोने का साबुन हमाम नीम तुलसी और एलोवेरा 150 ग्राम।

सरकारी ई मार्केट (जी ई एम) बोली संख्या: जी ई एम /2024/ बी /4611227 दिनांक: 09-02-2024, 2583 नग आपूर्ति हेतु बुलाया गया था। पात्र को हाथ धोने का साबुन हमाम नीम तुलसी और एलोवेरा 150 ग्राम सिविल कंजरवेंसी, मिलिट्री कंजरवेंसी, पब्लिक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उद्यान, पाउंड कीपर, सामान्य प्रशासन, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत, जल आपूर्ति, अस्पताल एसटीएम और पीवीएम, प्राइमरी स्कूल एसटीएम और पीवीएम और कैंटोनमेंट बोर्ड का मैरिज हॉल, सेंट। थॉमस माउंट और पल्लावरम। बोली 23.02.2024 को 13.23 बजे खोली गई घंटे. बोलियां खुलने पर 7 बोलीदाताओं ने भाग लिया। जांच पर उपरोक्त बोलियों में, यह देखा गया है कि फर्म, मै. मिडसन इंटरनेशनल और मैसर्स. येस्टेक एंटरप्राइज सर्विसेज ने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं जी ई एम पोर्टल में उल्लेखित है। अतः उपरोक्त फर्म अपात्र पाई गई तथा अस्वीकार कर दिया। हालाँकि, मैसर्स. मिडसन इंटरनेशनल ने प्रस्तुत किया है 24.02.2024 को 10:41 बजे अभ्यावेदन। और दस्तावेजों को इस रूप में अग्रेषित किया जी ई एम पोर्टल में उल्लेखित है। इसके अलावा, मैसर्स. येस्टेक एंटरप्राइज सर्विसेज के पास है 24.02.2024 को 11:28 बजे अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। और जमा कर दिया जी ई एम पोर्टल में उल्लिखित दस्तावेज। इसलिए, छह निविदाकर्ता अर्थात्, एमएस। मिडसन इंटरनेशनल, मैसर्स. एमके हॉस्पटेक, मै. प्रतिभा कपड़े और साड़ियाँ, मै. एस आर इंटरप्राइजेज, मैसर्स. विश्रुत इंटरप्राइजेज, मै. येस्टेक एंटरप्राइज सर्विसेज को वित्तीय बोली और इसके लिए योग्य पाया गया 26.02.2024 को 11:36 बजे खोला गया था। इसके बाद रिवर्स नीलामी (आर ए) आरए संख्या: जी ई एम /2024/ आर /310755 दिनांक: 26-02- के तहत बनाया गया है 2024 जो 28-02-2024 को 13:00 बजे खोला गया था। का विवरण बोली लगाने वाले इस प्रकार हैं:-

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	वस्तु का नाम	दर शामिल कर	कुल दर उद्धरित कर सहित	टिप्पणी
1.	एम एस मिडसन इंटरनेशनल	हाथ धोने का साबुन हमाम 150 ग्राम (223 कर्मचारी)	रु.59.94/-	रु.154825.02/-	सबसे कम
2.	एम एस एस आर इंटरप्राइजेज	हाथ धोने का साबुन हमाम 150 ग्राम (223 कर्मचारी)	रु.65/-	रु.1,67,895/-	
3.	एम एस विश्रुत इंटरप्राइजेज	हाथ धोने का साबुन हमाम 150 ग्राम (223 कर्मचारी)	रु.72/-	रु.1,85,976/-	

4.	एम एस येस्टेक एंटरप्राइज सर्विसेज	हाथ धोने का साबुन हमाम 150 ग्राम (223 कर्मचारी)	रु.74/-	रु.1,91,142/-	
5.	एम के हॉस्पटेक	हाथ धोने का साबुन हमाम 150 ग्राम (223 कर्मचारी)	रु.74/-	रु.1,91,142/-	
6.	प्रतिभा कपड़े और साड़ी	हाथ धोने का साबुन हमाम 150 ग्राम (223 कर्मचारी)	रु.77/-	रु.1,98,891/-	

इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज सदन पटल पर रखे गए हैं।

बोर्ड मंजूरी दे सकता है.

संकल्प संख्या 7: मैसर्स द्वारा उद्धृत रु. 1,54,825.02/- की न्यूनतम बोली पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। मिडसन इंटरनेशनल, जी ई एम के माध्यम से, 2583 नग की आपूर्ति के लिए। छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम के पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए हाथ धोने का साबुन हमाम नीम तुलसी और एलोवेरा 150 ग्राम।

8. सिविल कंजरवेंसी, स्कूलों और अस्पतालों के उपयोग के लिए सफाई सामग्री की खरीद

सिविल कंजरवेंसी, स्कूलों और अस्पतालों के उपयोग के लिए सफाई सामग्री की खरीद पर विचार करना और अनुमोदन करना।

सरकारी ई-मार्केट (जी ई एम) बीओक्यू बोली संख्या: जीईएम/2024/बी/4590327 दिनांक: 06-02-2024, को सिविल कंजरवेंसी, स्कूलों और अस्पतालों के उपयोग के लिए सफाई सामग्री की आपूर्ति के लिए बुलाया गया था जो 19-02 को खोला गया था। -2024 प्रातः 11.30 बजे। बोली खुलने पर 11 नं. बोलीदाताओं ने भाग लिया है। उपरोक्त बोलियों की जांच करने पर, यह पाया गया कि फर्म, मै. ब्लू क्लिक ऑफिस ऑटोमेशन इंडियन, मैसर्स। डेल्टा ऑफिस ऑटोमेशन, मैसर्स। जेफ इंजीनियरिंग, मैसर्स। जेपीएस एजेंसी और मै. विनायक मनुट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने जी ई एम पोर्टल में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। इसलिए, उपरोक्त फर्म अयोग्य पाई गईं और खारिज कर दी गईं। हालाँकि, मैसर्स. डेल्टा ऑफिस ऑटोमेशन ने 20-02-2024 को 13:46 बजे अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और जी ई एम पोर्टल में उल्लिखित दस्तावेज जमा किए हैं। एमएस। जेफ इंजीनियरिंग ने 21-02-2024 को 06:07 बजे अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और जी ई एम पोर्टल

में उल्लिखित दस्तावेज जमा किए हैं। इसके अलावा, मैसर्स. जेपीएस एजेंसी ने 21-02-2024 को 06:10 बजे अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और जीईएम पोर्टल में उल्लिखित दस्तावेज जमा किए हैं। इसलिए, नौ निविदाकर्ता अर्थात् मैसर्स। डेल्टा ऑफिस ऑटोमेशन, मैसर्स। जेफ इंजीनियरिंग, मैसर्स। जेपीएस एजेंसी, मैसर्स. एमके हॉस्पटेक, मै. प्रतिभा ड्रेसेस एवं साड़ियाँ, मैसर्स। प्रिंट सॉल्यूशंस, मैसर्स। एसआर इंटरप्राइजेज, मैसर्स. विश्रुथा एंटरप्राइजेज और मैसर्स। येस्टेक एंटरप्राइज सर्विसेज को वित्तीय बोली के लिए योग्य पाया गया और इसे 22-02-2024 को 17:40 बजे खोला गया। इसके बाद आरए नंबर जीईएम/2024/आर/309199 दिनांक 22-02-2024 के तहत रिवर्स ऑक्शन (आरए) बनाया गया, जो 26-02-2024 को 11.21 बजे खोला गया। आरए में भाग लेने वाले बोलीदाताओं का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	वस्तु का नाम	कर सहित उद्धृत कुल दर	टिप्पणी
1.	एम एस एस आर इंटरप्राइजेज	सफाई की सामग्री	रु.6,28,170/-	सबसे कम
2.	एम एस डेल्टा कार्यालय स्वचालन	सफाई की सामग्री	रु.6,29,042/-	
3.	एम एस जेपीएस एजेंसी	सफाई की सामग्री	रु.8,05,578/-	
4.	एम एस जेफ इंजीनियरिंग	सफाई की सामग्री	रु.8,18,678.05/-	
5.	एम एस प्रिंट समाधान	सफाई की सामग्री	रु.8,27,500/-	
6.	एम एस येस्टेक एंटरप्राइज सर्विसेज	सफाई की सामग्री	रु.8,55,665/-	
7.	एम एस विश्रुत इंटरप्राइजेज	सफाई की सामग्री	रु.8,56,535.10/-	
8.	एम एस एमके हॉस्पटेक	सफाई की सामग्री	रु.8,59,397/-	

इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज सदन पटल पर रखे गए हैं।

बोर्ड मंजूरी दे सकता है.

संकल्प संख्या 8: मैसर्स द्वारा उद्धृत रु. 6,28,170/- की न्यूनतम बोली पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। सिविल कंजर्वेसी, स्कूलों और अस्पतालों के उपयोग के लिए सफाई सामग्री की आपूर्ति के लिए जी ई एम के माध्यम से एसआर एंटरप्राइजेज।

9. श्री गुलाबचंद सायर बाई जैन छावनी सामान्य अस्पताल, पल्लावरम, ऑपरेशन थिएटर के उपयोग के लिए दवाओं की खरीद

श्री गुलाबचंद सायर बाई जैन छावनी जनरल अस्पताल, पल्लावरम ऑपरेशन थिएटर के उपयोग के लिए दवाओं की खरीद पर विचार करना और अनुमोदन करना।

सरकारी ई मार्केट (जी ई एम) बोक बोली संख्या: जीईएम/2024/बी/4586585 दिनांक: 06-02-2024, श्री गुलाबचंद सायर बाई जैन छावनी जनरल अस्पताल, पल्लावरम, ऑपरेशन थिएटर में दवाओं की आपूर्ति के लिए बुलाया गया था। 23.02.2024 को खोला गया

13.21 बजे। बोक बोली खुलने पर 3 नं. बोलीदाताओं ने भाग लिया है। उपरोक्त बोलियों की जांच करने पर, यह पाया गया कि फर्म, मै. गणेश फार्मा सर्जिकल्स ने जी ई एम पोर्टल में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। अतः उपरोक्त फर्मों को अपात्र पाया गया और अस्वीकृत कर दिया गया। इसलिए दो निविदाकर्ता, मैसर्स। एमके हॉस्पटेक और मैसर्स। तुलसी फार्मा को विलीय बोली के लिए पात्र पाया गया और इसे 26-02-2024 को 11:31 बजे खोला गया। इसके बाद आर ए नंबर: जी ई एम /2024/ आर /310748 दिनांक: 26-02-2024 के तहत रिवर्स ऑक्शन (आर ए) बनाया गया, जो 28-02-2024 को 13:00 बजे खोला गया। बोलीदाताओं का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	वस्तु का नाम	कर सहित उद्धृत कुल दर	टिप्पणी
1.	एम एस एमके हॉस्पटेक	दवाइयाँ सामान	रु.4,20,006.42/-	सबसे कम
2.	एम एस तुलसी फार्मा	दवाइयाँ सामान	रु.4,25,465/-	

इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज सदन पटल पर रखे गए हैं।

बोर्ड मंजूरी दे सकता है.

संकल्प संख्या 9: मेसर्स द्वारा उद्धृत रु. 4,20,006.42 की न्यूनतम बोली पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। एमके हॉस्पटेक, जीईएम पोर्टल के माध्यम से श्री गुलाबचंद सायर बाई जैन छावनी जनरल अस्पताल, पल्लावरम, ऑपरेशन थिएटर के लिए दवाओं की खरीद।

10. छावनी बोर्ड, अनुसूचित जनजाति के सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपयोग के लिए जल आपूर्ति वस्तुओं की खरीद। थॉमस माउंट और पल्लावरम

लोक निर्माण विभाग, छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम के उपयोग के लिए जल आपूर्ति वस्तुओं की खरीद पर विचार करना और अनुमोदन करना।

सरकारी ई मार्केट (जी ई एम) बीओक्यू बोली संख्या: जीईएम/2024/बी/4603191 दिनांक: 08-02-2024, को लोक निर्माण विभाग, छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम के उपयोग के लिए जल आपूर्ति वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बुलाया गया था। , जो 19-02-2024 को 11.30 बजे खोला गया था। बोली खुलने पर, 4

बोलीदाताओं ने भाग लिया। उपरोक्त बोलियों की जांच करने पर, यह पाया गया कि फर्म, मै. वीजीएस एंटरप्राइजेज ने जी ई एम पोर्टल में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। अतः अपात्र पाई गई उपरोक्त फर्मों को अस्वीकृत किया जाता है।

हालाँकि, मैसर्स. वीजीएस एंटरप्राइजेज ने 20-02-2024 को 22:09 बजे अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और जी ई एम पोर्टल में उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इसलिए चार निविदाकर्ता, मैसर्स। एमके हॉस्पटेक, मै. एसआर इंटरप्राइजेज, मैसर्स. वीजीएस एंटरप्राइजेज और मैसर्स। विश्रुता एंटरप्राइजेज को वित्तीय बोली के लिए योग्य पाया गया और इसे 22-02-2024 को 15:07 बजे खोला गया। इसके बाद आरए नंबर: जी ई एम/2024/आर/309049 दिनांक: 22-02-2024 के तहत रिवर्स ऑक्शन (आर ए) बनाया गया है, जो 26-02-2024 को 11:19 बजे खोला गया था। बोलीदाताओं का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	वस्तु का नाम	कर सहित उद्धृत कुल दर	टिप्पणी
1.	एम एस एस आर इंटरप्राइजेज	जल आपूर्ति वस्तुएँ	रु.7,82,023/-	सबसे कम
2.	एम एस विश्रुत इंटरप्राइजेज	जल आपूर्ति वस्तुएँ	रु.7,83,064/-	
3.	एम एस वीजीएस इंटरप्राइजेज	जल आपूर्ति वस्तुएँ	रु.8,55,987.34/-	

इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज सदन पटल पर रखे गए हैं।

बोर्ड मंजूरी दे सकता है.

संकल्प संख्या 10: माना जाता है और मेसर्स द्वारा उद्धृत रु.7,82,023/- की न्यूनतम बोली को मंजूरी दे दी। लोक निर्माण विभाग, छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम के उपयोग के लिए जल आपूर्ति वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जी ई एम के माध्यम से एसआर एंटरप्राइजेज।

11. कॉम्पेक्टर वाहन क्रमांक TN 22 DH3035 की मरम्मत

कॉम्पेक्टर वाहन क्रमांक टीएन 22 डीएच 3035 की मरम्मत हेतु निविदा दिनांक 27.02.2024 पर विचार एवं अनुमोदन हेतु।

कंजरवेंसी लॉरी की मरम्मत के लिए निविदाएं आमंत्रित करते हुए निविदा सूचना संख्या एस टी एम/ एस ए एन/ वी ई एच/0306 दिनांक 20-02-2024 के माध्यम से वेबसाइट www.cantt.stm पर प्रकाशित की गई थी। प्रत्युत्तर में, चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं:

क्रम संख्या	निविदा का नाम और पता	रकम
1.	मैसर्स मंजुला ऑटो गैराज नंबर 5, सर्विस रोड (पेट्रोल बंक के पास), अनाकापुथुर, चेन्नई-600 070.	रु.98,500/-
2.	मैसर्स राधाकृष्णन ऑटो वर्क्स नंबर 5, सुब्रमनिया स्ट्रीट, पंजायथ कॉलोनी, थिरुनीरमलाई मेन रोड, पम्मल, चेन्नई-600075.	रु.1,05,000/-
3.	मैसर्स श्री वेंकटेश्वर ऑटो एंड इंजीनियरिंग वर्क्स नंबर 52ए, चेन्नई बाईपास रोड, तिरुतानी-631209.	रु.1,31,750/-
4.	एम/एस एसएस मोटर्स नंबर 2, श्रीनिवास नगर, अलापक्कम मेन रोड, मटुरवायल, चेन्नई-600095.	रु.1,85,600/-

उपरोक्त चार में से मेसर्स मंजुला ऑटो गैराज, नंबर 5, सर्विस रोड (पेट्रोल बंक के पास), अनाकापुथुर, चेन्नई 600 070, ने सबसे कम राशि 98,500/- रुपये (अठानवे हजार पांच सौ रुपये मात्र) उद्धृत की। यह उचित है।

संबंधित कागजात मेज पर रखे गये हैं।

बोर्ड मंजूरी दे सकता है।

संकल्प संख्या 11: मेसर्स मंजुला ऑटो गैराज द्वारा उद्धृत उक्त सफाई वाहन की मरम्मत हेतु न्यूनतम राशि रु. 98,500/- पर विचार एवं अनुमोदन किया गया।

12. छावनी अधिनियम 2006 की धारा 235 के तहत भवन निर्माण आवेदन

भवन योजना आवेदनों पर विचार करने के लिए A). BPA-एपीपी-एसटीएम- 2024-02-28-003568 दिनांक 28.02.2024 श्री ए से प्राप्त हुआ। अरुलसेल्वम और श्रीमती ए. एम. सेल्वी, अर्चना पैलेस, फ्लैट नंबर 9, दरवाजा नंबर 4/25, सेंट पैट्रिक चर्च रोड, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई-600 016 के लिए अनुमति का अनुरोध भूतल में पार्किंग क्षेत्र, आवासीय भवन का प्रस्तावित निर्माण पहली मंजिल और दूसरी मंजिल में आवासीय भवन, दरवाजा नंबर 4/15, सेंट पैट्रिक चर्च रोड, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई 600 016 और बी). बी पी ए-एपीपी-एसटीएम- 2024-02-28-003569 दिनांक 28.02.2024 मेसर्स द सोसायटी ऑफ मैरी इमैक्युलेट और सहयोगियों की बेटियाँ से प्राप्त हुआ, दरवाजा नं.17-एक्स, अमला भवन, रुद्र रोड, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई 600 016 अनुरोध है ग्राउंड फ्लोर में वाणिज्यिक भवन, पहली मंजिल में वाणिज्यिक भवन और दूसरी मंजिल में वाणिज्यिक भवन के प्रस्तावित निर्माण की अनुमति के लिए दरवाजा नंबर 4/34, सेंट पैट्रिक चर्च रोड 2 लेन, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई 600 016।

जी एल आर एस नंबर 290 भाग, आरएस नंबर 1946 भाग वाली विषय भूमि को बी2 भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सेंट थॉमस माउंट (वार्ड नंबर 2) में अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित है। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 234 के अनुसार, बोर्ड अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित भूमि के लिए भवन योजना को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इसलिए इसे मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, चेन्नई सर्कल, चेन्नई 9 द्वारा पत्र संख्या 80 द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार विषय स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में केंद्रीय संरक्षित कलश दफन स्थल की सीमा में नहीं आते हैं। /Sur/2021-22/1349 दिनांक 01.06.2023.

इंजीनियरिंग अनुभाग ने रिपोर्ट दी है कि सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण शामिल नहीं है। एई/जेई की रिपोर्ट के अनुसार, भवन योजनाएं भवन उपनियमों और एफएसआई प्रतिबंधों के अनुरूप हैं।

संबंधित फ़ाइल और कार्यालय रिपोर्ट मेज पर रखी गई है।

बोर्ड मंजूरी दे सकता है.

संकल्प संख्या 12: विचार करें और अनुमोदित करें कि बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 234 के तहत भवन योजनाओं को मंजूरी देने का संकल्प लिया है, जो छावनी बोर्ड की धाराओं और उपनियमों के तहत शर्तों के अनुरूप और अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। बोर्ड अन्य लागू प्रावधानों/अधिनियमों के तहत कार्रवाई करेगा।

13. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करना

विभिन्न द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण पर विचार करना सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी में व्यक्ति बिना प्राप्त किए छावनी बोर्ड की पूर्व मंजूरी/स्वीकृत योजना से विचलन।

अनधिकृत/विचलन निर्माणों का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:

क्रम संख्या	पार्टी का नाम पते सहित	साइट का पता	भूमि का विवरण	अनधिकृत निर्माण/विचलन का विवरण	जारी किए गए नोटिस का विवरण
1.	श्री थम्पुरज नं.45-बी, बाज़ार रोड, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नल-600 016	नंबर 45-बी, बाज़ार रोड, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई-600 016	जीएलआरएस नंबर 302 भाग, बी2 भूमि के रूप में वर्गीकृत, बाजार क्षेत्र में अधिसूचित के बाहर स्थित है।	भूतल में 1050 वर्ग फुट और प्रथम तल में 1050 वर्ग फुट के आवासीय भवन का निर्माण, छावनी बोर्ड से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना।	i) धारा 239(1) के तहत नोटिस छावनी अधिनियम, 2006 के सीबीएसटीएम के माध्यम से जारी किया गया क्रमांक एसटीएम/वर्क्स/8/2778 17.10.2023. ii) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 247 के तहत नोटिस सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/2777 17.10.2023 द्वारा जारी किया गया।
2.	श्री राममूर्ति नंबर 2/17, यूरोपियन लेन, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई- 600 016	नंबर 2/17, यूरोपियन लेन, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई- 600 016	जीएलआरएस नंबर 290 भाग, बी2 भूमि के रूप में वर्गीकृत, बाजार क्षेत्र में अधिसूचित के बाहर स्थित है।	आवासीय भवन का निर्माण. माप 816.40 वर्ग फुट। छावनी बोर्ड से पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना भूतल में।	i) धारा 239(1) के तहत नोटिस छावनी अधिनियम, 2006 के सीबीएसटीएम पत्र द्वारा जारी किया गया क्रमांक एसटीएम/वर्क्स/8/0021 दिनांकित 29.12.2023. ii) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 247 के तहत नोटिस सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/0020 29.12.2023 द्वारा जारी किया गया।

3.	श्री प्रकाश, जोसेफ तेलुगु बैपटिस्ट चर्च, नंबर 7/64-ए, विश्वनाथपुरम सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई- 600 016	जोसेफ तेलुगु बैपटिस्ट चर्च, नंबर 7/64-ए, विश्वनाथपुरम सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई- 600 016	जीएलआरएस नंबर 162 भाग, बी2 भूमि के रूप में वर्गीकृत, बाजार क्षेत्र में अधिसूचित के बाहर स्थित है।	छावनी बोर्ड से पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना 504 वर्ग फुट के धार्मिक भवन का निर्माण।	i) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 239 (1) के तहत नोटिस सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/0273 12.02.2024 के माध्यम से जारी किया गया। दिनांकित ii) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 247 के तहत नोटिस सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/0274 दिनांक 12.02.2024 द्वारा जारी किया गया।
4.	श्रीमती वी.रेणुका नं.27, वरदराजपुरम मेन तेन्नमपेट, रोड, चेन्नई- 600 018	नंबर 2/58, वैटरन लाइन्स, सी.पल्लावरम, चेन्नई- 600 043	जीएलआरएस संख्या 388/87 भाग, बी2 भूमि के रूप में वर्गीकृत, स्थित है। अधिसूचित बाजार क्षेत्र के बाहर.	भूतल में 666.5 वर्ग फुट और प्रथम तल में 666.5 वर्ग फुट मापने वाले आवासीय भवन का निर्माण। मंजूरी योजना से.	i) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 239 (1) के तहत सीबीएसटीएम नंबर एसटीएम/वर्क्स/8/0868 01.03.2023 को नोटिस जारी किया गया। पत्र दिनांकित ii) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 247 के तहत नोटिस सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/0867 दिनांक 01.03.2023 द्वारा जारी किया गया।

इसलिए, बोर्ड इस संबंध में आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपरोक्त अनधिकृत/विचलन निर्माणों पर छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत विचार कर सकता है और नोटिस जारी कर सकता है।

संबंधित फाइलें और कार्यालय रिपोर्ट मेज पर रखी गई हैं।

संकल्प संख्या 13: बोर्ड ने इस पर विचार किया और नोटिस जारी करने की मंजूरी दी

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत आवश्यक है और पार्टी द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन पूरे होने पर, सीईओ छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 320 के तहत नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत है।

14. 2023 वर्ग फीट मापने वाली भूमि के संबंध में पूरी तरह से समाप्त पट्टे की पूरी अवधि से परे पट्टे का विस्तार। सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी की जीएलआरएसवाई.नं.24-ए में

श्री जी.विजय भास्कर, पुत्र, से प्राप्त आवेदन दिनांक 30.11.2021 पर विचार करने हेतु। स्वर्गीय श्री गुरम नरैया, श्री जी. ध्यानानंद कुमार, पुत्र स्वर्गीय श्री गुरम नरैया और श्री जी.जयप्रकाश, पुत्र स्वर्गीय श्री गुरम नरैया, नं.56, नज़ारथपुरम, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई-600 016 और श्री जी. सुकुमार, पुत्र स्वर्गीय श्री गुरम चिन्नैया, नंबर 56 ए, नज़ारथपुरम, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 और श्री जी. सुधीरबाबू पुत्र स्वर्गीय श्री गुरम मूसा और श्री जी. सुनील कुमार, पुत्र स्वर्गीय श्री गुरम मोसेस नंबर 56 बी, नाजरथपुरम, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई 600 016 जीएलआरएसवाई नंबर 24-ए में 2023 वर्ग मीटर की भूमि के लीज होल्ड अधिकारों के विस्तार के लिए छावनी बोर्ड से अनुरोध कर रहे हैं। श्री जी. विजया भास्कर, श्री जी. ध्यानानंद कुमार, श्री जी. जयप्रकाश, श्री जी. सुकुमार, श्री जी. सुधीर बाबू और श्री जी. के नाम पर सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी का फुट 01.01.2022 से 31.12.2023 तक की अवधि के लिए आवास गृह के प्रयोजन हेतु सुनील कुमार।

जीएलआरएस नंबर 24-ए में रक्षा भूमि, 2023 वर्ग फुट मापी गई, जिसे बी3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित है और छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रखी गई है, अनुसूची 6 में पट्टे पर दी गई थी। सीएलएआर 1925 को 30 साल की अवधि के लिए पट्टेदार के विकल्प पर 17.11.1930 से 90 साल तक के विकल्प पर नवीकरणीय किया जा सकता है, जिसमें 1/- रुपये के वार्षिक किराए पर आवास के उद्देश्य से और उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, सैदापेट में पंजीकृत किया गया हो। 08.05.1931 को पुस्तक-1 खंड-336, पृष्ठ 97 से 100 के दस्तावेज़ क्रमांक 506, 1931 के रूप में।

पहले कार्यकाल के लिए पट्टा 16.11.1960 को समाप्त हो गया और 30 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए पट्टे को 17.11.1960 से सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौते के तहत नवीनीकृत किया गया और उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, सैदापेट में पंजीकृत किया गया। पुस्तक-1, खंड 604, पृष्ठ 267 से 270 के दस्तावेज़ संख्या 485, 1961, 09.03.1961 को 1.50/- रुपये के वार्षिक किराये पर।

दूसरे कार्यकाल के लिए पट्टा 16.11.1990 को समाप्त हो गया और 30 साल की तीसरी और आखिरी अवधि के लिए पट्टे को 17.11.1990 से सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित और उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत नवीनीकरण पट्टा समझौते के माध्यम से नवीनीकृत किया गया है। , बुक-1 के 2015 के दस्तावेज़ संख्या 2586 के रूप में सैदापेट में 12.11.2015 को 3/- रुपये के वार्षिक किराए पर 11 शीट शामिल हैं। 30 साल की तीसरी और अंतिम अवधि के लिए लीज यानी 90 की कुल अवधि (पूर्ण अवधि) वर्ष 16.11.2020 को समाप्त हो गए।

भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने पत्र संख्या 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 10.03.2017 और 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 31.12.2018, छावनी द्वारा जारी किया गया। बोर्ड ने पत्र क्रमांक एसटीएम/एडीएम/लीज/09/1616 दिनांक 14.08.2021 के माध्यम से पट्टेदारों से जीएलआरएस नंबर 24-ए में पट्टे के विस्तार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने का अनुरोध किया, जिसकी माप 17.11.2020 से 31.12 तक की अवधि के लिए 2023 वर्ग फुट है। .2021 और उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों पर प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराया माफ करना। जवाब में, पट्टेदारों ने पत्र दिनांक 01.09.2021 के माध्यम से 17.11.2020 से 31.12.2021 की अवधि के लिए पट्टे के विस्तार और प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराया का भुगतान करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/09/0251 दिनांक 21.12.2021 के माध्यम से पट्टेदारों को आवासीय दर पर लीज किराए की बकाया राशि के लिए 1,79,552/- रुपये की राशि भेजने के लिए मांग नोटिस जारी किया। 2023 वर्गफुट भूमि के संबंध में 17.11.2020 से 31.12.2021 तक की अवधि। जीएलआरएस संख्या 24-ए में और पट्टेदारों ने सीबी रसीद संख्या 8662 दिनांक 22.03.2022 के माध्यम से 1,50,000/- रुपये और चेक संख्या 236480 दिनांक 22.03.2022 (केनरा बैंक) के माध्यम से 29,552/- रुपये का भुगतान किया है, कुल मिलाकर से 1,79,552/- रु.

इसके बाद 2023 वर्ग फुट की लीज भूमि का विस्तार किया गया। सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के जीएलआरएस नंबर 24-ए में श्री जी. विजया भास्कर, श्री जी. ध्यानानंद कुमार, श्री जी. जया प्रकाश, श्री जी. सुकुमार, जी. के पक्ष में किया गया। सुधीर बाबू और श्री जी. सुनील कुमार और उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौते को निष्पादित और पंजीकृत किया गया था रजिस्ट्रार कार्यालय, सैदापेट में पुस्तक 1 के दस्तावेज़ संख्या 2106/2022 के रूप में दिनांक 25.04.2022 की 21 शीट 1 से 21 शामिल हैं।

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की नवीनतम अंतरिम नीति के अनुसार, पत्र संख्या 11013/2/2016/डी (भूमि) दिनांक 29.12.2022 द्वारा जारी, छावनी बोर्ड ने श्री जी विजय कुमार को पत्र जारी किया है, श्री जी. ध्यानानंद कुमार, श्री जी. जया प्रकाश, श्री जी. सुकुमार, श्री जी. सुधीर बाबू और श्री जी. सुनील कुमार ने पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/एडीएम/लीज/34/2348 दिनांक 08.08 द्वारा .2023 उनसे 01.01.2022 से 31.12.2023 की अवधि के लिए 2023 वर्ग फुट मापने वाले जीएलआरएस नंबर 24-ए में पट्टे के विस्तार की इच्छा व्यक्त करने का अनुरोध किया गया है। पट्टेदारों, श्री जी. विजया कुमार, श्री जी. ध्यानानंद कुमार, श्री जी. जया प्रकाश, श्री जी. सुकुमार, श्री जी. सुधीर बाबू और श्री जी. सुनील कुमार ने पत्र दिनांक 16.08.2023 के माध्यम से इच्छा व्यक्त की जीएलआरएस नंबर 24-ए में पट्टे के विस्तार के लिए, 01.01.2022 से 31.12.2023 की अवधि के लिए 2023 वर्ग फुट मापने और प्रचलित एसटीआर और सरकार के नियमों और शर्तों के अनुसार भूमि पट्टा किराए का भुगतान करने के लिए।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/एडीएमएन/लीज/34/2348 दिनांक 08.08.2023 और नंबर एसटीएम/वर्क्स/एडीएमएन/लीज/34/2442 दिनांक 25.08.2023 के जरिए पट्टाधारक को डिमांड नोटिस जारी

किया है। जीएलआरएस नंबर 24-ए में 2023 वर्ग फुट की भूमि के संबंध में 01.01.2022 से 31.12.2023 की अवधि के लिए आवासीय दर पर बकाया लीज किराए के लिए 3,24,240/- रुपये की राशि भेजें। पट्टेदारों ने सीबी रसीद संख्या 3829 दिनांक 05.12.2022, संख्या 1121 दिनांक 22.06.2023, संख्या 2063 दिनांक 21.08.2023, संख्या 4174 दिनांक 08.01.2024 के माध्यम से पूरी राशि रु. 3,24,240/- का भुगतान कर दिया है। क्रमांक 2558 दिनांक 15.09.2023 और चेक क्रमांक 000008 दिनांक 27.02.2022.

चूंकि पट्टेदारों, श्री जी. विजया कुमार, श्री जी. ध्यानानंद कुमार, श्री जी. जया प्रकाश, श्री जी. सुकुमार, श्री जी. सुधीर बाबू और श्री जी. सुनील कुमार ने पट्टे की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है प्रचलित एसटीआर के अनुसार किराया, आवासीय उद्देश्य के लिए सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 2023 वर्ग फुट के जीएलआरएस नंबर 24-ए में पट्टे के विस्तार को 01.01.2022 से 31.12.2023 की अवधि के लिए अनुमोदित किया जाना है। और सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौता, डीजीडीई के पत्र संख्या 18/48/एल/डीई/57, दिनांक 30.12.2022 वॉल्यूम- XIII पंजीकृत के माध्यम से प्राप्त हुआ।

संबंधित फ़ाइल और कार्यालय रिपोर्ट मेज पर रखी गई है।

बोर्ड मंजूरी दे सकता है.

संकल्प संख्या 14: विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। बोर्ड ने समाधान कर लिया है

श्री जी. विजया कुमार, श्री जी. ध्यानानंद कुमार, श्री के पक्ष में, आवासीय उद्देश्य के लिए 2023 वर्ग फुट मापने वाले जीएलआरएस नंबर 24-ए में पट्टे के विस्तार के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित समझौते को निष्पादित और पंजीकृत करने के लिए। जी. जया प्रकाश, श्री जी. सुकुमार, श्री जी. सुधीर बाबू और श्री जी. सुनील कुमार, 01.01.2022 से 31.12.2023 की अवधि के लिए, इंटरम पॉलिसी भारत सरकार के संदर्भ में, एमओडी पत्र संख्या 11013/2/2016/डी (भूमि) दिनांक 29.12.2022. इसके बाद विषय पट्टा भूमि के लिए अद्यतन जीएलआर एकसट्रैक्ट उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा।

15. सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 1256 वर्गफुट माप वाले GLRSY.NO.132 में पूरी तरह से समाप्त पट्टे की पूरी अवधि से परे पट्टे का विस्तार

लीज के भुगतान पर 01.01.2022 से 31.12.2023 की अवधि के लिए सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 1256 वर्ग फुट के जीएलआरएस नंबर 132 के संबंध में पूरी तरह से समाप्त लीज की पूरी अवधि से परे लीज के विस्तार पर विचार करना। पट्टे की पूरी अवधि की समाप्ति की तारीख पर प्रचलित एसटीआर दर पर किराया।

जीएलआरएस संख्या 132 में 1256 वर्ग फुट की रक्षा भूमि, जिसे बी-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित है और छावनी बोर्ड के

प्रबंधन के तहत रखी गई है, को अनुसूची VI में पट्टे पर दिया गया था। सीएलएआर, 1925 30 वर्षों की अवधि के लिए, पट्टेदार के विकल्प पर 90 वर्ष तक नवीकरणीय, श्रीमती वरदाम्मल के नाम पर निवास उद्देश्य के लिए 17.11.1930 से प्रभावी और दस्तावेज संख्या 1931 की 507 पुस्तक-I, खंड 336, पृष्ठ 103 से 106, 08.05.1931 के रूप में उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, सैदापेट में पंजीकृत किया गया।

पहली अवधि के लिए लीज 16.11.1960 को समाप्त हो गई और 30 साल की दूसरी अवधि के लिए लीज सीएलएआर, 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीनीकरण लीज समझौते के तहत 17.11.1960 से श्रीमती वरदाम्मल के नाम पर फिर से नवीनीकृत की गई थी। 24.01.1963 को 0.93 रुपये के वार्षिक किराए पर उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, सैदापेट में दस्तावेज संख्या 83/1963, पुस्तक-I, खंड 647, पृष्ठ 254 से 256 के रूप में पंजीकृत किया गया।

इसके अलावा, श्रीमती जी. वरदाम्मल ने दस्तावेज संख्या 2630 दिनांक 04.09.1991 पुस्तक-885, खंड 91, पृष्ठ 439 से 443 के माध्यम से 04.09.1991 को पट्टे के अधिकार श्री के. जयकुमार को हस्तांतरित कर दिए। तदनुसार, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/लीज/4/1905 दिनांक 01.03.1994 के माध्यम से श्री के. जयकुमार के नाम पर लीज होल्ड अधिकारों को परिवर्तित कर दिया।

इसके अलावा, श्री के. जयकुमार की मृत्यु 19.12.2011 को हो गई। इसलिए, सीबीआर नंबर 8 दिनांक 12.02.2013, सीबीआर नंबर 8 दिनांक 10.05.2013 और सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम/लीज/4/0786 दिनांक 27.05.2013 के जरिए विषय संपत्ति के लीज होल्ड अधिकार उनकी पत्नी यानी श्रीमती टी. संतकुमारी के पक्ष में बदल दिए गए।

सीएलएआर, 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित और संयुक्त-द्वितीय उप-रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत नवीनीकरण पट्टा समझौते के तहत 17.11.1990 से श्रीमती टी. संतकुमारी के नाम पर 30 वर्षों की तीसरी और आखिरी अवधि के लिए पट्टे का नवीनीकरण किया गया था। कार्यालय, सैदापेट 2017 के दस्तावेज संख्या 594 के रूप में, पुस्तक I, पृष्ठ 1 से 9 31.03.2017 को 2/- रुपये के वार्षिक किराए पर।

30 साल की तीसरी और आखिरी अवधि यानी कुल 90 साल की अवधि के लिए लीज 16.11.2020 को समाप्त हो गई है।

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अंतरिम नीति के अनुसार, पत्र क्रमांक 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 10.03.2017 और 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 31.12.2018&सं. 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 15-02-2021, छावनी बोर्ड ने पत्र क्रमांक एसटीएम/एडीएम/लीज/34/1613 दिनांक 14.08.2021 के माध्यम से पट्टेदार श्रीमती टी. संतकुमारी से अनुरोध किया कि वे अवगत कराएं 17.11.2020 से 31.12.2021 की अवधि के लिए जीएलआरएस नंबर 132 में 1256 वर्ग फुट के पट्टे के विस्तार की इच्छा और प्रचलित एसटीआर दर पर और उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बकाया पट्टे के किराए का भुगतान करने की इच्छा।

जवाब में, पट्टेदार ने पत्र दिनांक 31.08.2021 के माध्यम से 17.11.2020 से 31.12.2021 की अवधि के लिए पट्टे के विस्तार और प्रचलित एसटीआर पर पट्टा किराया का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/34/0250 दिनांक 21.12.2021 के माध्यम से पट्टेदार को आवासीय दर पर लीज किराए की बकाया राशि के लिए 1,11,469/- रुपये की राशि भेजने के लिए मांग नोटिस जारी किया। जीएलआरएसवाई क्रमांक 132 में 1256 वर्गफीट भूमि के संबंध में दिनांक 17.11.2020 से 31.12.2021 तक की अवधि। पट्टेदार ने सीबी रसीद संख्या 3749 दिनांक 29.11.2022 के माध्यम से 1,11,469 रुपये की पूरी राशि का भुगतान किया।

चूंकि पट्टेदार श्रीमती टी. संतकुमारी ने भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अंतरिम नीति के अनुसार प्रचलित एसटीआर दर पर लीज किराए की बकाया राशि का भुगतान किया, जीएलआरएस नंबर 132 में लीज का विस्तार, सेंट थॉमस माउंट का 1256 वर्ग फुट माप सह पल्लावरम छावनी को आवासीय उद्देश्य के लिए 17.11.2020 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी और सीएलएआर, 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौता, डीजी, डीई पत्र संख्या 18/48/एल/डीई/57 वॉल्यूम द्वारा प्राप्त किया गया था। -XIII दिनांक 05.05.2022 को उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, सैदापेट में निष्पादित और पंजीकृत किया गया था क्योंकि पुस्तक I के 2023 के दस्तावेज संख्या 949 में 14 शीट 1 से 14 दिनांक 11.04.2023 शामिल हैं।

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की नवीनतम अंतरिम नीति के अनुसार, पत्र संख्या 11013/2/2016/डी (भूमि) दिनांक 29.12.2022 द्वारा जारी, छावनी बोर्ड ने श्रीमती टी. संतकुमारी को पत्र के माध्यम से पत्र जारी किया है क्रमांक एसटीएम/वर्क्स/एडीएम/लीज/34/2551 दिनांक 14.08.2023, उनसे 01.01.2022 से 31.12.2023 की अवधि के लिए 1256 वर्ग फुट मापने वाले जीएलआरएस नंबर 132 में पट्टे के विस्तार की इच्छा व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। पट्टेदार, श्रीमती टी. संतकुमारी ने पत्र दिनांक 16.10.2023 के माध्यम से जीएलआरएस नंबर 132 में पट्टे के विस्तार के लिए, 01.01.2022 से 31.12.2023 की अवधि के लिए 1256 वर्ग फुट की माप करने और भूमि पट्टे का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है। प्रचलित एसटीआर और सरकार के नियमों और शर्तों के अनुसार किराया।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/एडीएमएन/लीज/34/2748 दिनांक 12.10.2023 के माध्यम से पट्टेदार को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उसे पट्टे की बकाया राशि के लिए 2,01,364/- रुपये की राशि भेजने के लिए कहा गया है। जीएलआरएस नंबर 132 में 1256 वर्ग फीट भूमि के संबंध में 01.01.2022 से 31.12.2023 तक की अवधि के लिए आवासीय दर पर किराया। पट्टेदार ने सीबी रसीद संख्या 4625 दिनांक 06.02.2024 के माध्यम से 2,01,364/- रुपये की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है।

चूंकि पट्टेदार, श्रीमती टी. संथाकुमारी ने प्रचलित एसटीआर के अनुसार लीज किराए की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, जीएलआरएस नंबर 132 में लीज का विस्तार, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी

के 1256 वर्ग फुट को मंजूरी दी जानी है। आवासीय उद्देश्य के लिए 01.01.2022 से 31.12.2023 तक की अवधि और सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौता, डीजीडीई के पत्र संख्या 18/48/एल/डीई/57, वॉल्यूम XIII दिनांक 30.12.2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। निष्पादित एवं पंजीकृत किया जाना है।

संबंधित फ़ाइल और कार्यालय रिपोर्ट मेज पर रखी गई है।

बोर्ड मंजूरी दे सकता है।

संकल्प संख्या 15: विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। बोर्ड ने संकल्प लिया है। 01.01.2022 से 31.12.2023 की अवधि के लिए, श्रीमती टी. संतकुमारी के पक्ष में, आवासीय उद्देश्य के लिए 1256 वर्ग फुट मापने वाले जीएलआरएस नंबर 132 में पट्टे के विस्तार के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित समझौते को निष्पादित और पंजीकृत करें। टर्म पॉलिसी की शर्तें भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय का पत्र क्रमांक 11013/2/2016/डी (भूमि) दिनांक 29.12.2022। इसलिए, विषय पट्टा भूमि के लिए अद्यतन जीएलआर उद्धरण उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा।

16. सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के जीएलआरएस संख्या 325-ए में 0.31 एकड़ (13500 वर्ग फुट) भूमि के संबंध में पट्टे का विस्तार

श्रीमती बाल्कीस, पत्नी से प्राप्त दिनांक 09.11.2022 के आवेदन पर विचार करने के लिए। स्वर्गीय श्री के. शेख अब्दुल खादर, श्रीमती नजीमा, पत्नी। स्वर्गीय श्री के.एम. अब्दुल खादर, श्री इम्तियाज अहमद और श्री एम. मोहम्मद मरजूक, फ्लैट नंबर 2ए, सलमा अपार्टमेंट, नंबर 104/37, वेस्ट माधा कोइल स्ट्रीट, रोयापुरम, चेन्नई 600 013, विस्तार के लिए छावनी बोर्ड से अनुरोध करते हुए 01.01.2023 से 31.12.2023 तक बाजार प्रयोजन के लिए सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी की जीएलआरएस संख्या 325-ए की 0.31 एकड़ (13500 वर्ग फुट) में भूमि के पट्टा अधिकार।

जीएलआरएस नंबर 325-ए वाली रक्षा भूमि, जिसकी माप 13500 वर्ग फुट (0.31 एकड़) है, जिसे बी3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी में अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित है और छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रखी गई है, को मंजूरी दे दी गई थी। सीएलएआर, 1925 की अनुसूची VI में 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा, 27.04.1932 से श्री सैयद जलालुद्दीन साहब के पक्ष में 16.14 रुपये के वार्षिक किराए पर बाजार के प्रयोजन के लिए पट्टेदार के विकल्प पर 90 वर्ष तक नवीकरणीय। और 17.06.1932 को उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, सैदापेट में पुस्तक-1 खंड 336, पृष्ठ 209 से 212 के दस्तावेज संख्या 921/1932 के रूप में पंजीकृत किया गया।

पहले कार्यकाल के लिए पट्टा 26.04.1962 को समाप्त हो गया और 30 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पट्टे के अधिकार को श्री अज़ीजुद्दीन की पत्नी श्रीमती सरन बी और पत्नी श्रीमती कुइरुशी बेगम के नाम

पर स्थानांतरित कर दिया गया। स्वर्गीय श्री उस्मान खान ने 27.04.1962 से सीएलएआर, 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीनीकरण पट्टा समझौते के माध्यम से और पुस्तक-1 खंड 626, पृष्ठ 430 के 1963 के दस्तावेज संख्या 82 के रूप में उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, सैदापेट में पंजीकृत किया। 434 19.01.1963 को 25.31 रुपये के वार्षिक किराए पर। इसके बाद, भूमि के पट्टे के अधिकार श्री जी. एम. करीमुल्लाह, पुत्र के नाम पर स्थानांतरित कर दिए गए। अजीजुद्दीन और श्रीमती सरनबी ने सीबीआर नंबर 16 दिनांक 28.07.1963 के माध्यम से 25.31/- रुपये के वार्षिक किराए पर बाजार के प्रयोजन के लिए।

पट्टे की दूसरी अवधि 26.04.1992 को समाप्त हो गई और पट्टा धारण अधिकार 27.04.1992 से i) श्री जी. एम. करीमुल्लाह, ii) श्रीमती नसरीन, iii) श्रीमती परवीन और iv) श्री के नाम पर स्थानांतरित कर दिए गए। रियाज़ ने सीईओ के आदेश संख्या 9559/ए/एनसीए/एससी/एलसी-1/DE दिनांक 31.03.1999 के तहत 38/- रुपये के वार्षिक किराए पर बाजार के प्रयोजन के लिए।

श्री जी. एम. करीमुल्लाह, ii) श्रीमती नसरीन, iii) श्रीमती परवीन और iv) श्री रियाज़ के नाम पर 30 वर्षों की तीसरी और अंतिम अवधि के लिए पट्टे का नवीकरण 27.04.1992 से प्रभावी नवीकरण पट्टा समझौते के तहत किया गया। सीएलएआर, 1937 की अनुसूची IV और 12.05.1999 को 38/- रुपये के वार्षिक किराए पर उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, सैदापेट में पुस्तक-1 खंड 1992 पृष्ठ 35 से 38 के दस्तावेज संख्या 560 के रूप में पंजीकृत किया गया। 30 साल की तीसरी और अंतिम अवधि के लिए लीज यानी 90 साल की कुल अवधि (पूर्ण अवधि) 26.04.2022 को समाप्त हो गई।

इसके अलावा, लीज होल्ड अधिकार i) श्री के. के नाम पर स्थानांतरित कर दिए गए। शेख अब्दुल खादर, ii) श्री के.एम. अब्दुल खादर, iii) श्रीमती नजीमा और iv) श्रीमती बाल्कीस, बाजार के प्रयोजन के लिए रु. 38/- के वार्षिक किराये पर, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, सैदापेट में पंजीकृत, पुस्तक खंड 2007 पृष्ठों के 2007 के दस्तावेज संख्या 682 के तहत 27.03.2007 को 1 से 11 तक और सीबीआर संख्या 12 दिनांक 16.03.2009 और सीबीआर संख्या 24 दिनांक 06.09.2013 द्वारा अनुमोदित।

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अंतरिम नीति के अनुसार पत्र क्रमांक 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 10.03.2017 द्वारा नीति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र क्रमांक 11013/2/2016 द्वारा अंतरिम नीति के अनुसार /डी(भूमि) दिनांक 31.12.2018, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की नीति पत्र क्रमांक 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 15.02.2021 के माध्यम से और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की नीति पत्र क्रमांक 11013/2/2016/(भूमि) दिनांक 20.04.2022, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/41/1392 दिनांक 23.05.2022 के माध्यम से पट्टेदारों से जीएलआरएस संख्या 325-ए में पट्टे के विस्तार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने का अनुरोध किया। 27.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के लिए 13500 वर्ग फुट (0.31 एकड़) की माप और प्रचलित एसटीआर और सरकार के नियमों और शर्तों के अनुसार पट्टा किराया का भुगतान करना।

जवाब में, श्रीमती नजीमा और श्रीमती बाल्कीस ने दिनांक 30.05.2022 के पत्र के माध्यम से पट्टे को 27.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के लिए बढ़ाने और प्रचलित एसटीआर के अनुसार भूमि पट्टा किराए का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है। सरकार के नियम और शर्तें, श्रीमती नजीमा और श्रीमती बाल्कीस द्वारा उक्त पत्र में यह भी सूचित किया गया था कि श्री के. शेख अब्दुल खादर और श्री के.एम. अब्दुल खादर की मृत्यु 29.07.2020 और 10.09.2020 को हो गई है और स्वर्गीय श्री के. शेख अब्दुल खादर और स्वर्गीय श्री के.एम. अब्दुल खादर के मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करें जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। इसके बाद, कैंटोनमेंट बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/1/2787 दिनांक 20.10.2022 के माध्यम से श्रीमती नजीमा और श्रीमती बाल्कीस को पत्र जारी कर नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत नोटरीकृत निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र में सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से एनओसी जमा करने का अनुरोध किया। नीचे मृतक पट्टेदारों के कानूनी उत्तराधिकारियों का उल्लेख किया गया है। जवाब में, श्रीमती नजीमा, श्रीमती बाल्कीस, श्री एस. इम्तियास अहमद और श्री एम. मोहम्मद मार्जूक ने अपने पत्र दिनांक 09.11.2022 के माध्यम से मृत पट्टेदारों के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दी गई अपेक्षित एनओसी जमा कर दी है।

इसके बाद, कैंटोनमेंट बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/वर्क्स/1/3136 दिनांक 16.11.2022 के माध्यम से श्रीमती नजीमा, श्रीमती बाल्कीस, श्री एस. इम्तियास अहमद और श्री एम. मोहम्मद मार्जूक को एक राशि भेजने के लिए डिमांड नोटिस जारी किया। जीएलआरएस संख्या 325-ए में 13500 वर्ग फुट (0.31 एकड़) भूमि के संबंध में 27.04.2022 से 31.12.2022 की अवधि के लिए वाणिज्यिक दर पर लीज किराए की बकाया राशि के लिए 15,43,147/- रुपये और पट्टेदारों ने ई-छावनी रसीद संख्या 4120 दिनांक 30.12.2022, रसीद संख्या 4198 दिनांक 05.01.2023 और रसीद संख्या 4751 दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से पट्टा किराया की कुल बकाया राशि 15,43,147/- रुपये का भुगतान किया है।

चूंकि, छावनी परिषद की मांग के अनुसार, श्रीमती नजीमा, मा. बाल्कीस, श्री एस. इम्तियास अहमद और श्री एम. मोहम्मद मार्जूक ने भुगतान किया है अंतरिम के अनुसार प्रचलित एसटीआर की दर पर लीज रेंट का बकाया भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की नीति, उत्परिवर्तन और जीएलआरएस संख्या 325-ए में पट्टे का विस्तार, माप 13500 वर्ग फुट (0.31 एकड़) श्रीमती नाजिमा, श्रीमती बाल्कीस, श्री एस इम्तियास के नाम पर अनुमोदित किया गया था अहमद और श्री एम. मोहम्मद मार्जूक 27.04.2022 से अवधि के लिए बाजार उद्देश्य और उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौते के लिए 31.12.2022 के रूप में उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, पल्लावरम में निष्पादित और पंजीकृत किया गया था पुस्तक 1 के 2023 के दस्तावेज़ क्रमांक 1331 में दिनांक 1 से 11 तक 17 शीट शामिल हैं 18.05.2023.

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की नवीनतम अंतरिम नीति के अनुसार, पत्र संख्या 11013/2/2016/डी (भूमि) दिनांक 29.12.2022 द्वारा जारी, छावनी बोर्ड ने श्रीमती नजीमा, श्रीमती बाल्कीस को पत्र जारी किया है , श्री एस. इम्तियाज अहमद और श्री एम. मोहम्मद मरजूक ने पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/एडीएम/लीज/41/2450

दिनांक 25.08.2023 के माध्यम से उनसे जीएलआरएस संख्या 325-ए में पट्टे के विस्तार की इच्छा व्यक्त करने का अनुरोध किया। 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के लिए 13503.6 वर्ग फुट (0.31 एकड़) माप। पट्टेदार, श्रीमती नजीमा, श्रीमती बाल्कीस, श्री एस. इम्थियास अहमद और श्री एम. मोहम्मद मरजूख ने दिनांक 07.09.2023 के पत्र के माध्यम से जीएलआरएस संख्या 325-ए में पट्टे के विस्तार के लिए, 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के लिए 13503.6 वर्ग फुट (0.31 एकड़) भूमि के विस्तार और भूमि पट्टा किराए का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है। प्रचलित एसटीआर और सरकार के नियमों और शर्तों के अनुसार।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/1/2820 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से पट्टाधारक को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें वाणिज्यिक दर पर पट्टा किराया के बकाया के लिए 26,80,061/- रुपये की राशि भेजने के लिए कहा गया है। जीएलआरएस संख्या 325-ए में 13503.60 वर्ग फुट (0.31 एकड़) भूमि के संबंध में 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि के लिए। पट्टेदार ने सीबी रसीद संख्या 2700 दिनांक 25.09.2023, 3066 दिनांक 13.10.2023, संख्या 3544 दिनांक 14.11.2023, संख्या 3545 दिनांक 14.11.2023 और संख्या 4173 दिनांक 08.01.2024 के माध्यम से 26,80,061/- रुपये की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है।

चूँकि पट्टेदारों, श्रीमती नजीमा, श्रीमती बाल्कीस, श्री एस. इम्थियास अहमद और श्री एम. मोहम्मद मार्जूक ने प्रचलित एसटीआर के अनुसार लीज किराए की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, जीएलआरएस नंबर 325-ए में लीज का विस्तार, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी की 13503.6 वर्ग फुट (0.31 एकड़) की माप को बाजार उद्देश्य के लिए 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के लिए अनुमोदित किया जाना है और सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौता प्राप्त हुआ है। डीजीडीई, पत्र क्रमांक 18/48/एल/डीई/57, खंड XIII दिनांक 30.12.2022, पीडीडीई, एससी, पुणे पत्र क्रमांक 3044/डीई/एससी/एल/जीईएन/लीज/2017/XIV दिनांक 05.01.2023 है निष्पादित एवं पंजीकृत किया जाना है।

संबंधित फ़ाइल और कार्यालय रिपोर्ट मेज पर रखी गई है।

बोर्ड मंजूरी दे सकता है.

संकल्प संख्या 16: विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। बोर्ड ने जीएलआरएस नंबर 325-ए में 13503.60 वर्ग फुट (0.31 एकड़) के पट्टे के विस्तार के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित समझौते को निष्पादित और पंजीकृत करने का संकल्प लिया है।

बाजार उद्देश्य, श्रीमती नजीमा, श्रीमती बाल्कीस, श्री एस. इम्थियास अहमद और श्री एम. मोहम्मद मार्जूक के पक्ष में, अंतरिम नीति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या के संदर्भ में 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि के लिए। 11013/2/2016/डी (भूमि) दिनांक 29.12.2022. इसके बाद विषय पट्टा भूमि के लिए अद्यतन जीएलआर एक्सट्रैक्ट उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा।

एसडी/- (ब्रिगेडियर जी.एस.पंढेर, एसएम)

अध्यक्ष छावनी बोर्ड

सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम

एसडी/- (सी. दिनेश कुमार रेड्डी)

सदस्य सचिव एवं

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

छावनी बोर्ड

दिनांक: 29-02-2024.